//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ (म0प्र0)//

क्रमांक–क्यू/सा0अनु0/2020, झाबुआ, दि0:– 16/04/2020

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर
ज ब ल पु र (म0प्र0)

विषयः– वीडियो कांफ्रेसिंग के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के पालन एवं जिला न्यायालय की बेबसाइड पर हेल्प लाइन नंबर प्रसारित किए जाने के संबंध में।

संदर्भः– रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक– रजि. (आई.टी.) (एस.ए.)/2020 जबलपुर दिनांक 15.04.2020

–::00::–

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में निवेदन है कि इस स्थापना पर रजिस्ट्री की ओर से पूर्व में प्राप्त पत्र क्रमांक 405 दिनांक 7.4.2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रीट पिटीशन क्रमांक 5/2020 दिनांक 6.4.2020 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जा चुकी हैः–

1. लॉकडाउन अवधि के दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के संबंध में पत्राचार हेतु इस स्थापना पर पदस्थ श्री दिनेश जैन प्रशासनिक अधिकारी झाबुआ को दायित्वाधीन किया जाकर उनका मोबाईल क्रमांक–7987616359 एवं ई–मेल आई.डी. dinesh7816@gmail.com समस्त संबंधितों को प्रसारित किया जा चुका है तथा उक्त अवधि में समग्र पत्राचार एवं आवेदन ई–मेल आई.डी. dcourtjha-mp@nic.in के माध्यम से प्राप्त किये जाकर जरिये वीडियो कांफ्रेसिंग सुनवाई की जा रही है।

2. वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान आने वाली समस्याओं के निवारण एवं उचित समाधान हेतु इस स्थापना पर पदस्थ श्री मुकेश चौहान सिस्टम ऑफिसर झाबुआ मोबाईल क्रमांक 9827502093 एवं ई–मेल आई.डी. mukesh.smst@gmail.com एवं सिस्टम असिस्टेंट श्री पंकज वाणी मोबाईल क्रमांक 9907960835 एवं ई–मेल आई.डी. pankajvani002@gmail.com का जिला न्यायालय झाबुआ की बेवसाइट पर प्रदर्शन कराया जा चुका है तथा तदाशय की सूचना संबंधितों को दी जा चुकी है।

3. पुलिस अधीक्षक झाबुआ की ओर कार्यालय ज्ञापन क्रमांक–क्यु/सा.अनु./2020 दिनांक 11.04.2020 प्रेषित कर केस डायरी एवं अन्य प्रपत्र जरिये ई–मेल ही प्राप्त किये जा रहे हैं। इस प्रकार संदर्भित पत्र के सभी दिशा निर्देशों का पालन इस जिला स्थापना पर पूर्व

से ही किया जा रहा है।

अतः तत्संबंध में इस स्थापना पर प्रसारित किए गए कार्यालय ज्ञापन कमांक–क्यु/सा.अनु./2020 दिनांक 11.04.2020 एवं कार्यालय ज्ञापन कमांक–05/सा.अनु./2020 दिनांक 25.03.2020 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न सादर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

16.04.2020

(एम.के. शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ (म0प्र0)

//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ (म0प्र0)//

क्रमांक–क्यू/सा0अनु0/2020, झाबुआ, दि0:– 11/04/2020

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय,

म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर

ज ब ल पु र (म0प्र0)

Subject:- Compliance of directions/guidelines for court functioning through video conferencing as per order dated 6.4.2020 passed by Hon'ble the Supreme court in SMWP (Civil) No. 5/2020.

संदर्भः– रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक–405/गोपनीय/2020 दिनांक 07.04.2020.

–::00::–

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है कि न्यायालयीन कार्यवाही वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से किये जाने बाबत् निम्न निर्देश जारी किए गये हैं:–

1. अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों द्वारा संबंधित न्यायालय से लिंक स्थापित किए जाने के उद्देश्य से न्यायालय भवन में मौजूद एक कक्ष को सुविधा की दृष्टि से उक्त प्रयोजन के उद्देश्य से पक्षकार/अधिवक्ता वीडियों कॉन्फ्रेसिंग कक्ष के रूप में स्थापित किया गया है। इस कक्ष का उपयोग पक्षकार/अधिवक्तागण संबंधित न्यायालय से लिंक स्थापित करने के उपरांत अतिआवश्यक प्रकरणों में साक्ष्य देने हेतु तथा जमानत आवेदनों में तर्क आदि के लिए (दोनों पक्ष सहमत होने पर) कर सकते हैं। उक्त वीडियो कॉन्फ्रेसिंग हेतु कम्प्यूटरों को पर्याप्त दूर–दूर रखा गया है।

2. जिला न्यायालय झाबुआ में समस्त न्यायालयों में वीडियों कॉन्फ्रसिंग सिस्टम पूर्व से ही संचालित है, जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा रिमाण्ड कार्य एवं दांडिक प्रकरणों में अभियुक्त पर आरोप विरचित किए जाने की कार्यवाही हेतु किया जाता है।

3. समस्त अधिवक्तागण को सूचित किया गया है कि अतिआवश्यक प्रकरणों में उनके द्वारा प्रेषित किए जाने वाले आवेदन रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट झाबुआ के ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल क्रमांक तथा प्रशासनिक अधिकारी के मोबाईल क्रमांक पर सूचित करें, जिससे संबंधित न्यायालय द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई सुनिश्चित हो सकें। अधिवक्तागणों को यह भी सूचित किया गया कि, अपना मोबाईल क्रमांक आवश्यक रूप से आवेदन पत्रों पर लिखें ताकि

संबंधित न्यायालय द्वारा सुनवाई का दिनांक व समय मोबाईल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित किया जा सके तथा वीडियों एप के माध्यम से सुनवाई के दौरान यू0आर0एल0 लिंक उनके मोबाईल पर भेजी जा सकें, जिससे अधिवक्तागण व न्यायिक अधिकारीगण के मध्य दूरी बनी रहें और न्यायालयीन कार्य सूचारू रूप से चल सकें।

4. एन0आई0सी0 के द्वारा प्रदाय वीडियों एप का उपयोग व्ही0सी0 यूनिट/मोबाईल/लैपटॉप के माध्यम से किया जा रहा है। जिसकी सहायता से अधिवक्तागण/पक्षकार/ के वॉटसप/एस0एम0एस0 को व्ही0सी0 से कनेक्ट करने के लिए यू0आर0एल0 लिंक भेजी जा रही है जिससे कॉन्फ्रेंस से जुड़ सकते हैं।

5. जिन प्रकरणों में प्रकृति इस प्रकार की है जिनमें न्यायालय द्वारा उपस्थिति के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित की जाना है इसके लिए संबंधित पीठासीन अधिकारी अपने स्वविवेक से न्यायालय में आने वाले अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण की संख्या निर्धारण कर सकेंगे तथा साक्षी एवं अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं पीठासीन अधिकारी के मध्य पर्याप्त दूरी बनाई जाकर पालन किया जा सकें।

6. यदि किसी अधिवक्ता जिसके पास किसी कारणवश व्ही0सी0 हेतु आवश्यक यू0आर0एल0 लिंक मौजूद नहीं हो पाती हैं अथवा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संपर्क करने में असमर्थ रहने पर और वह अधिवक्ता/पक्षकारगण किसी अर्जेन्ट प्रकृति के मामले की सुनवाई करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में वह सहायता हेतु श्री मुकेश चौहान, सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय झाबुआ के मोबाईल कमांक–6266748902 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तथा इसके अतिरिक्त उनके लिए पैरालीगल वालेन्टियर को न्याय मित्र के रूप में संबंधित न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जावेंगा, जिसके लिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ से वालेन्टियर के नामों की सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, उक्त पैरालीगल वालेन्टियर पक्षकार एवं न्यायालय के माध्यम से व्ही0सी0 से प्रकरण की कार्यवाही पूर्ण कराएंगे जिससे न्यायालयीन कार्यवाही निष्पादित की जा सकेगी।

7. जिला एवं सत्र न्यायालय झाबुआ में एन0आई0सी0 के द्वारा प्रदाय वीडियों एप का उपयोग अध्यक्ष जे0जे0बी0 एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड झाबुआ द्वारा बाल सम्प्रेक्षण गृह झाबुआ में किया जा रहा है।

8. समस्त न्यायिक अधिकारीगण को सूचित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWVP (Civil) No. 5/2020 में पारित आदेश का पालन शब्द एवं भाव अनुसार पूर्णतः पालन करेंगे।

9. पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ पदस्थ थाना प्रभारियों को निर्देशित करे कि प्रस्तुत किए

जाने वाले प्रकरण की केस डायरी स्कैन कर प्रेषित किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची पर कम, संख्या अंकित करते हुए जिला न्यायालय की ई–मेल आई0डी0 dcourtjha-mp@nic.in पर करने के उपरांत जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट झाबुआ के ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल कमांक तथा प्रशासनिक अधिकारी के मोबाईल कमांक पर सूचित करें जिससे संबंधित न्यायालय में उक्त केस डायरी को भौतिक रूप से पेश किए जाने की आवश्यकता न रह जाए जिससे कोविड–19 महामारी से पीठासीन अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी का बचाव किया जा सकें एवं सामाजिक दूरी भी बनी रहें।

11.04.2020

(एम.के. शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ (म0प्र0)

पृष्ठाकंन क0–क्यू/सा0अनु0/2020, झाबुआ, दि0:– 11/04/2020

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. समस्त न्यायाधीशगण झाबुआ/थांदला/पेटलावद।
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ।
3. कलेक्टर, जिला झाबुआ।
4. पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ।
5. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट झाबुआ।
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ झाबुआ/थांदला/पेटलावद।
7. जेल अधीक्षक जिला झाबुआ।
8. प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय झाबुआ।
9. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग झाबुआ।
10. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय झाबुआ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11.04.2020

(एम.के. शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ (म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ म.प्र.

क्रमांक.....5......./सा.अनु./2020 झाबुआ, दिनांक 25 मार्च, 2020

विविध कार्यालयीन आदेश

कोरोना वायरस कोविड–19 की रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी लॉक–डाउन होने के फलस्वरूप माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क्र. क्यू–5 जबलपुर, दिनांक 25.03.2020 के पालन में दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक की अवधि के लिए न्यायिक जिला झाबुआ के न्यायालयों में अकार्य–दिवस घोषित किया जाता है। न्यायालय परिसर में प्रवेश निषेधित किया जाता है।

न्यायालय में अतिआवश्यक प्रकृति के न्यायिक कार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति से ही किये जाने हेतु एवं ऐसी अनुमति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ से प्राप्त करने के लिए श्री दिनेश जैन, प्रशासनिक अधिकारी, झाबुआ से सम्पर्क किया जा सकता है, उनका मोबाईल नंबर 9406659922 है तथा उनकी ई–मेल आईडी dinesh7816@gmail.com है।

(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.

Scanned by CamScanner

पृष्ठां.क्रमांक.....6.../सां.अनु./2020 झाबुआ, दिनांक 25.03.2020

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, झाबुआ की ओर सभी संबंधितों को ई—मेल किये जाने हेतु प्रेषित।
7. जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अधीक्षक, जिला जेल, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
10. शासकीय अभिभाषक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी,झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
11. संचालक, जन सम्पर्क विभाग, भोपाल की ओर समाचार—पत्रों में प्रकाशनार्थ।
12. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

25.03.2020

(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.

Scanned by CamScanner